

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग



उत्तराखण्ड भासन

जनपद — चमोली

वृत्त का नाम:—

7 वां वृत्त, लो० नि० वि०, गोपेश्वर

खण्ड का नाम :—

प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०, गोपेश्वर

कार्य का नाम:—

जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वनभूमि का क्षेत्रफल

:- 0.170 हे० (सिविल वनभूमि)
0.723 हे० (आरक्षित वनभूमि)
0.893 हे०

CHECK LIST

2

Sl. No.	Name of the Document	Page No.	Remark
1	2	3	4
1- Main Attachments			
1.1	Documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency.	2-11	Attached
1.2	Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted.	12	Attached
1.3	Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS.	13	Attached
1.4	Google Map of the proposed site showing legal status of the proposed land and alternative examined for the project with legend.	14	Attached
1.5	Note containing justification for locating the Project in forest land.	15	Attached
1.6	Certificate by DM- Forest Right Act-2006	17	Attached
1.7	Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation	12	Attached
1.8	Colored copy of the google map showing the land identified for CA.	13	Not Attached
1.9	If non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency? A Copy of ownership proof and No Objection Certificate	-	Not Attached
1.10	Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency.	-	Not Attached
1.11	Cost benefit anylises (in more then 5.0 ha. Land diversion cases)	-	Not Required, as the Land Diversion is less than 5.0 HA
1- Additional Documents			
2.1	A short narrative and importance of the project.		Attached
2.2	Administrative and Financial sanction.		Attached
2.3	Preliminary Joint Inspection report.		Attached
2.4	Comperative chart showing statement of both alignment of the proposed project.		Attached
2.5	Certificate from the DM that no alternative suitable non-forest land is available for the project in question and the demand of the forest land for the project is barest minimum.		Attached
2.6	Land schedule		Attached
2.7	Category wise land length, width and area		Attached
2.8	Bar Chart with index		Attached
2.9	Compensatory afforestation scheme in Civil and Soyam land		Attached
2.10	Certificate regarding suitability of indentified land for Comensatory Afforestation		Attached
2.11	Undertaking by the User Agency to bear the cost of compensatory afforestation		Attached
2.12	Road side plantation estimate		Attached

CHECK LIST

3

Sl. No.	Name of the Document	Page No.	Remark
1	2	3	4
2.13	Undertaking by the User Agency to bear the cost of Road side /gap filling plantation		Attached
2.14	Estimate of 100 trees plantation (less then 1.0 ha. cases)		Not Required
2.15	Details of the trees with their scientific name		Attached
2.16	Felling of Oak trees (if involves, inspection report of the concerning CF has to be provided)		Attached
2.17	Certificate from DFO If felling of trees is not involved		Not Required
2.18	Certificate of felling minimum trees during the project work		Attached
2.19	Muck disposal scheme		Attached
2.20	Status of the project area is a part of National Park or sanctuary and airal distance of the project from National Park or sanctuary		Attached
2.21	If the project area is within 10 Km radius of National Park or Century No objection certificate of CCF Wild Life		Not Required
2.22	If the Project falling within the National park or Sanctuary, needs recommendation of State Wild Life Board, National Board of Wild Life (NBWL) and permission of Hon'ble Supreme Court/MoEF Gol.		Not Required
2.23	No voilation has taken place, FC Act. 1980 reg		Attached
2.24	NOC from local Gram Sabhas		Attached
2.25	Approved general lay out plan/alignment and estimate from competent authority with name and designation.		Not Required
2.26	Component wise details of construction work.		Not Required
2.27	Certificate- work has not been started reg.		Attached
2.28	Geologist Report		Attached
2.29	Task Force report		Attached
2.30	Item wise details of work		
2.31	Certificate by user agency for complying the condition imposed in Standard Condition		Attached
2.32	Certificate by user agency for complying the condition imposed in geologist report/Task force recommendation in hill areas		Attached
2.33	No historical/monumental or relegeous place will be effected.		Attached
2.34	Undertakoing regarding no animal will be effected adversely by the project		Attached
2.35	Undertading to provide alternative fuelwood, kerosene or LPG to labours involved in project		Attached
2.36	Benefited villages/Families/Population Certificate		Attached
2.37	NPV calculation certificate as per Hon'ble Supreem court /MoEF orders		Attached

CHECK LIST

7

Sl. No.	Name of the Document	Page No.	Remark
1	2	3	4
2.38	Undertaking of payment of NPV, if Hon'ble Supreme Court increases the rates of NPV		Attached
2.39	Cost of the forest land and lease rent certificate		Not Required
2.40	Certificate of Lease period		Not Required
2.41	Demarcation of land to be diverted		Attached
2.42	Undertaking of user agency to bear the cost for demarcation work		Attached
2.43	Non-availability of non-forest land for compensatory afforestation certificate.		Not Required
2.44	Fact sheet . /Other imp details		Attached


Assistant Engineer
Provincial Division, PWD
Gopeshwar


Executive Engineer
Provincial Division, PWD
Gopeshwar

परिशिष्ट (देखिये नियम 6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा 2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग - 1

(प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिये)

1- परियोजना विवरण :-

(1) अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण

जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, मूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(2) 1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों

मानचित्र संलग्न है।

(3) परियोजना की लागत

रु० लाख

(4) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य

उक्त मोटर मार्ग निर्माण से पर्वतीय दूरस्थ गोलिम, रोप, चलथर, सेमडुंग्रा को आवागमन की सुविधा एवं रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। विस्तृत विवरण संलग्न है।

(5) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)

(6) रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है

स्थानीय जनता को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

2- कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्य विवरण

0.893 हे० वन भूमि उक्त निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करना।

3- परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई है -

(1) परिवारों की संख्या

लागू नहीं है।

(2) अनुसूचित जाति/जन जाति के परिवारों की संख्या

(3) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)

4- क्या पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है - (हां/नहीं)

नहीं (मार्ग कच्चा है)

5- प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-2 राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाय)

संलग्न है।

6- निर्देशों के अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा -

विषय सूची के अनुसार।

तिथि -

स्थान - गोपेश्वर

(आदर्श गोपाल सिंह)

अधिशारी अभियन्ता

प्र.खं. लो.नि.वि.,

गोपेश्वर

प्रस्ताव की क्रम संख्या :-

(प्राप्त करने की तारीख नोडल अधिकारी द्वारा भरी जानी है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या -

(प्राप्ति की तिथि के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

भाग - 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या -

7- परियोजना/स्कीम का स्थान -

- (1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र
- (2) जिला
- (3) वन प्रभाग
- (4) वनेत्तर भूमि प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे०)
- (5) वन की कानूनी स्थिति
- (6) हरियाली घनत्व
- (7) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि/श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल. - 2 मी० पर परिगणना और एफ.आर.एल. - 4 मी० भी संलग्न किये जाय

गोविन्दघाट-घांघरिया

उत्तराखण्ड

चमोली

ननदा देवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ

सिविल/आरक्षित वन भूमि

सूची संलग्न है।

- (8) (1) भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी
- (2) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल (हे० में)
- (9) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हां क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाय)
- (10) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं। यदि हो/तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा दें।
- (11) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्ववीय/पौरम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।

भूवैज्ञानिक की रिपोर्ट संलग्न है

नहीं

नहीं

नहीं

8- प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

हां अपरिहार्य एवं न्यूनतम है

9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

नहीं

नहीं

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा -

प्रांकलन संलग्न

(1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार

मानचित्र पर उल्लिखित है

(2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप

संलग्न है

(3) रोपित की जाने वाली प्रजातियों प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन, ऐजेन्सी, समय, अनुसूची, लागत, ढांचा आदि

संलग्न है

(4) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तिय परिव्यय

संलग्न है

(5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उपवन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)

संलग्न है

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7, 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये संलग्न करें।

संलग्न है

12- विभाग/जिलाप्रोफाइल :-

(1) जिला का भौगोलिक क्षेत्र -

803000 हे०

(2) जिले का वन क्षेत्र -

514792 हे०

(3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र

(4) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

(ख) वनेत्तर भूमि पर

(5) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति

(क) वन भूमि पर

766.26 हे०

(ख) वनेत्तर भूमि पर

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव के अन्यथा लेने के सम्बन्ध उपवन संरक्षक की विशेष सिफारिश

वनभूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है

तिथि -

स्थान - गोपेश्वर

हस्ताक्षर

(नाम)

सरकारी मोहर

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग "ख" में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

तिथि -

स्थान -

हस्ताक्षर

(नाम)

सरकारी मोहर

भाग - 4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा मरे जाने के लिये)

17- टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव के स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें)

(राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक अथवा एप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

तिथि -

हस्ताक्षर

स्थान -

(नाम)

सरकारी मोहर

भाग - 5

(इसे वन विभाग प्रभारी, सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाता है)

18- राज्य सरकार की सिफारिश

(उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय)

तिथि -

हस्ताक्षर

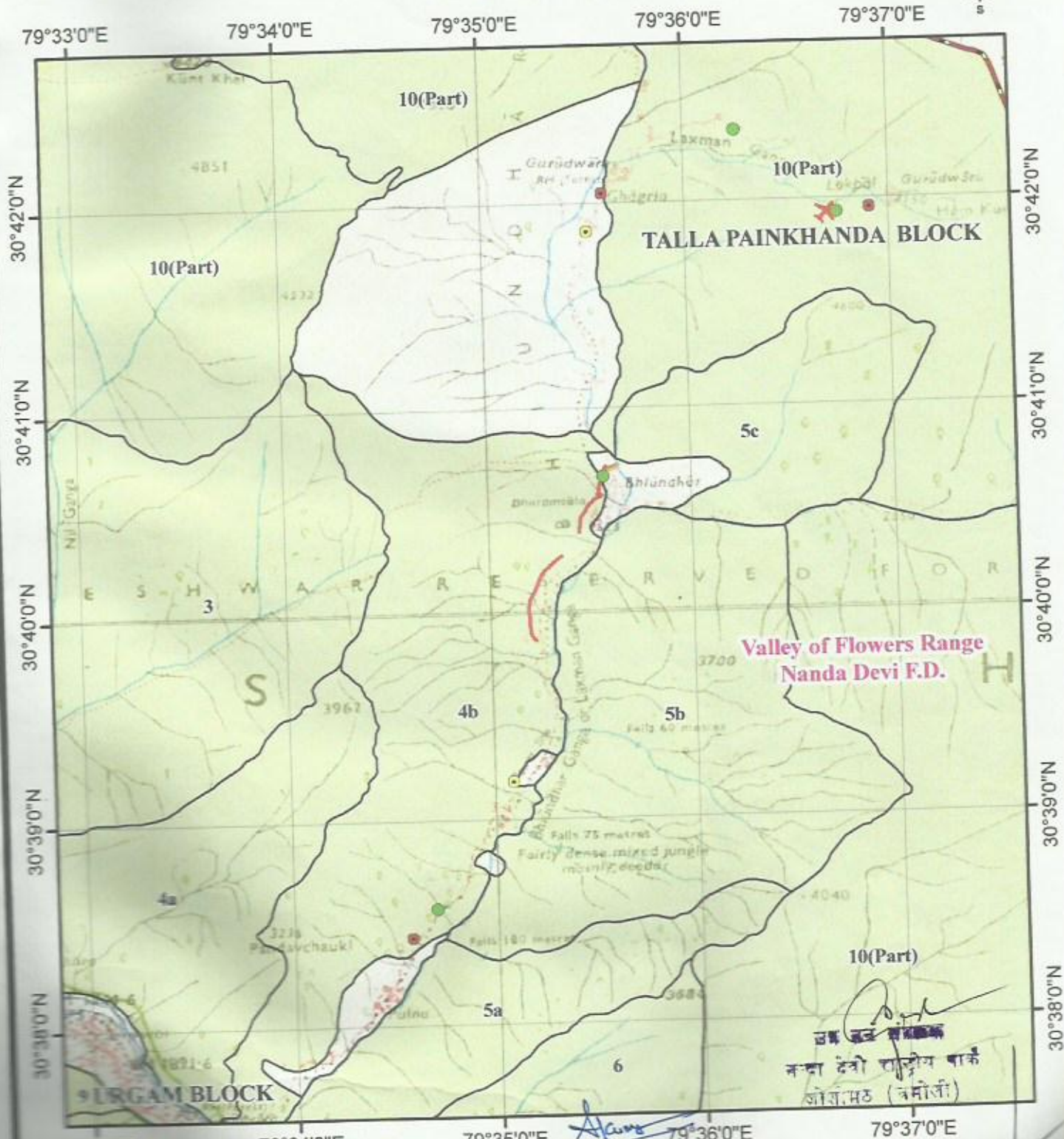
स्थान -

(नाम)

सरकारी मोहर

डिजिटल मैप - जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट घांघरिया पैदल मार्ग में घोड़ापड़ाव, रैन सेल्टर, गैंग हट, पैदल मार्ग, मैकेनिकल ट्राली, स्थायी सेतु, अस्थायी सेतु, पहुँच मार्ग एवं हैलीपैड निर्माण हेतु

0 0.5 1 1.5 2 Km



Legend

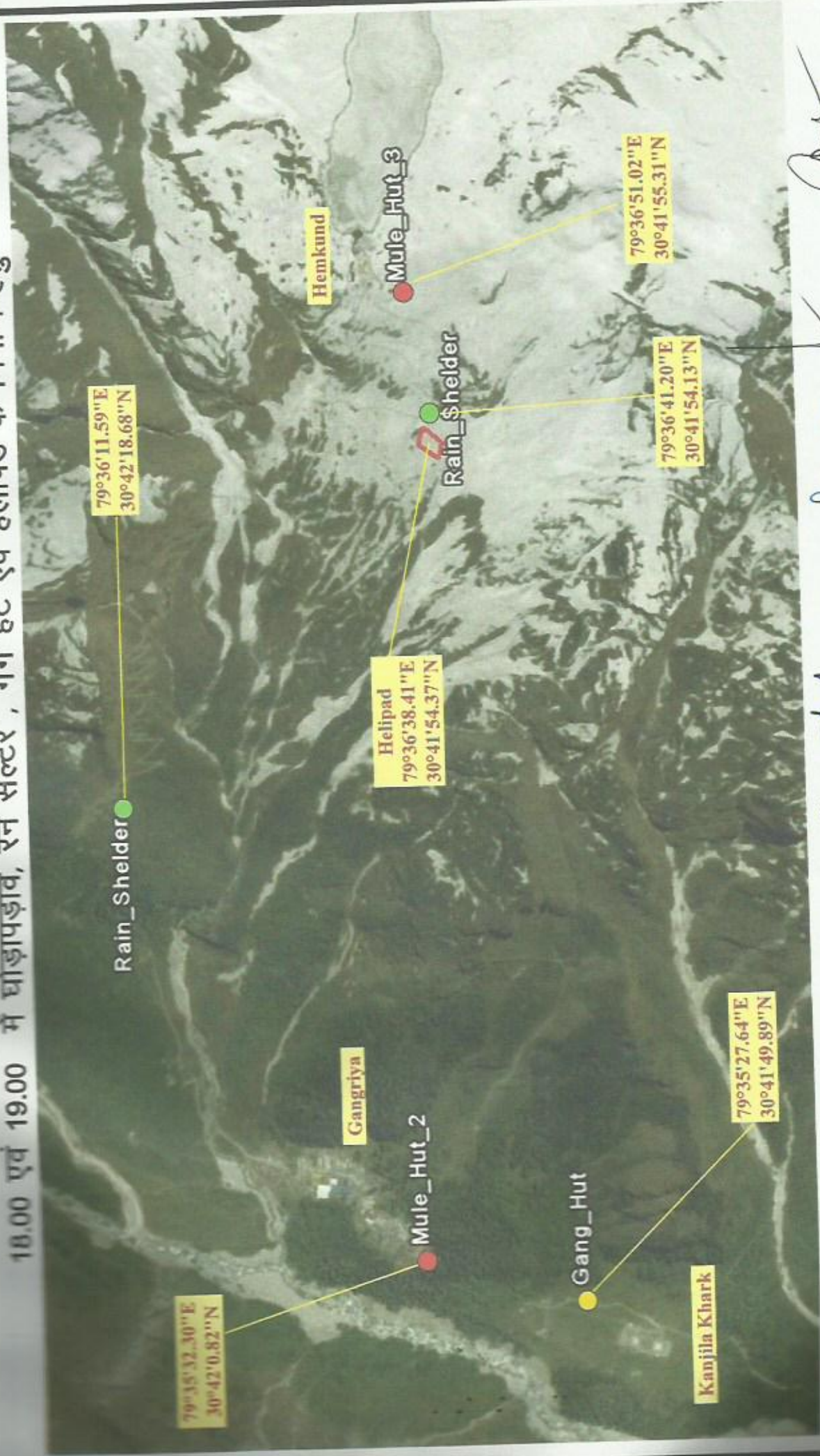
- Proposed Foot Path
- Bailly Suspension Bridge
- Machinal Trolly
- Gang Hut
- Waste Hut
- Rain Shelter
- Proposed Helipad
- Temp. Wooden Bridge
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Range Boundary

उप-अभ्यागम्य वनाधिकारी
नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क
बोशीमठ

वन सहायिका
नन्दा देवी रा. पार्क रेंज
बोशीमठ (चमोली)
न.र.



डिजिटल मैप - जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट घांघरिया पैदल मार्ग के कि०मी० 13.00, 15.00, 18.00 एवं 19.00 में घोड़ापड़ाव, रैन शेल्टर, गैंग हट एवं हैलीपैड के निर्माण हेतु



Legend

Mule Hut

Helipad

Rain Shelter

Dr. J. Singh
V.3

बन घांघरिया का निर्माण

कमल सिंह बिल्ट

1/5/17

Dr. J. Singh
V.3

बन प्रभागीय वनाधिकारी

नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क

जोशीमठ (चमोली)

Justification

Name of The Project :-

Construction of Rain shelter, Mule hut, Gang Hut, Sulabh Sochalaya, Bridle bridge, Trolley and re-construction of washout bridle road on Govindghat-Ghingriya-Hemkund Saheb Bridle Road.

Necessity of the Project and Justification for locating the Project in Forest Area

Due to natural disaster in Uttarakhand in last year Govindghat-Ghingriya-Hemkund Saheb bridle road damaged in many portion. Bridle bridge & trek was washed out. Presently the villagers, Tourist & Pilligrims facing many problems. Due to the non-existent of connectivity the lives of the villagers, Tourist & Pilligrims are in constant danger as there are no medical services which could be provided to them even in cases of emergency.

Further, due to existent of world famous valley of flowers also situated in this valley and many tourist comes from our country & foreign also. This very important place due to existence of Sri Hem kund sahib & Valley of flowers from tourism point of view.

Due to the construction of foot trek/mule trek following benefits are provided to local People & Government too.

- 1- Enhance the social and economical development of this area.
- 2- Migration of people from the village shall be minimized.
- 3- Due to easily accessibility forest can be protected from fire during summer season would be ceased to save Vegetation & animals.
- 4- Local people will find jobs/business near their village.
- 5- More women will get employment & will improve their economic situation.
- 6- Educational development in this area.
- 7- Hospital and medical facilities.

The forest land area falling in the proposed alignment of the road which is 0.893 Hectare has been surveyed to the minimum and also the alignment of the road has been proposed in such a manner that there shall be a minimum of tree falling. Other than the proposed alignment for the road, there is no such alignment which shall reduce the diversion of forest area or falling of the trees.

In view of the above facts and in public interest, it is requested that the Forest land area of 0.893 Hectare may kindly be diverted for the construction of the road.


Assistant Engineer
Provincial Division PWD
Gopeshwar


Executive Engineer
Provincial Division PWD
Gopeshwar

Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate : Chamoli

No. :-

Dated :-

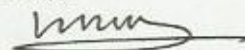
TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No- 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.893 Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Rain Shelter, Mule hut, Gang Hut, Sulabh Sochalaya, Bridle Suspension Bridge, Trolly, Halipad and Reconstruction of washout bridle road Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Joshimath Tehsils.

It is further Certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.893 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Signature



(Vinod Kumar Suman)
 (District Magistrate Chamoli)

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

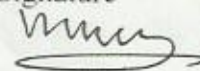
A meeting of the district level committee of Chamoli District, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate, Chamoli on dated 29.07.16 at time 10.30 AM at Chamoli in which application claiming rights in Chamoli area measuring 0.893 hect for the construction of Rain Shelter, Mule hut, Gang hut, Sulabh Sochalaya, Bridle Suspension Bride, Trolley, Halipad and Reconstruction of washout Bridle road Under PWD Gopeshwar Under State Sector at Joshimath Block in District- Chamoli, forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Chamoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Gopeshwar

Dated:.....

Signature



29.07.16

(Vinod Kumar Suman)
District Magistrate Chamoli

चमोली

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया -हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति चमोली

उपखण्ड चमोली के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया -हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु 0.893 हे. सिविल/आरक्षित वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि. 2-7-16 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा. सदस्यों की उपस्थिति में निम्नानुसार है:-

- | | | | |
|---------|---------------------|---------------------------|---------|
| 1- श्री | शैलेंद्र जेठा | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- श्री | सर्वेश कुमार डबे | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3- श्री | विष्णु प्रसाद अहिवा | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य |
| 4- श्री | श्यामी प्रकाश अहिवा | बी.डी.सी. क्षेत्र | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत गोविन्दघाट-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन शेल्टर म्यूलहट गैंगहट निर्माण हेतु 0.893 हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा. सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से मा. सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

उपजिलाधिकारी
उप प्रभागीय वनाधिकारी
जोशीमठ

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उप प्रभागीय वनाधिकारी
नन्दादवी राष्ट्रीय पार्क
जोशीमठ

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
जोशीमठ

शकुन्ता देवी
सदस्य
जोशीमठ

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया -हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

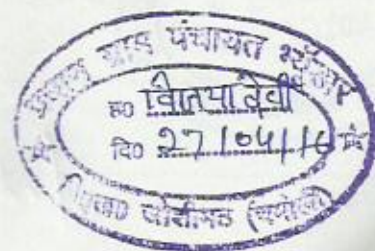
जनपद चमोली में जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया -हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु 0.893 हे० वनभूमि हस्तान्तरण हेतु हे० सिविल/आरक्षित वनभूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी, यह कि वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं हैं एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य हैं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरांत ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त वनभूमि हे० सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिये परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्रामसभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्रामपंचायत
२७/१०/१६



प्रपत्र - 23.1

दिनांक 27.4.16 को ग्रामसभा Bhyender की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

[illegible]

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जनपद चमोली के विकासखण्ड के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु शा0सं0 5381/111(2)/12-18 (प्रा0आ0)/2009 दिनांक 02.11.2012 द्वारा ₹ 666.69 लाख, शा0सं0 5382/111(2)/14-26 (प्रा0आ0)/2014 दिनांक 30.09.2014 द्वारा ₹ 1268.35 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उपरोक्त समस्त निर्माण श्रद्धालुओं/पर्यटकों के साथ ही स्थानीय जनता को भी आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निर्मित किया जाना है, जिस हेतु 0.893 हे0 सिविल/आरक्षित वनभूमि हस्तान्तरण का यह प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। उपरोक्त समस्त निर्माण के उत्सर्जितज मलवे का उपयोग निर्माण कार्य में ही कर दिया जायेगा।

उक्त निर्माण हेतु विकल्पों पर विचार किया गया, किन्तु वैकल्पिक सील उपलब्ध न होने के कारण एकमात्र उपलब्ध स्थलों को ही निर्माण कार्य हेतु उपयुक्त पाया गया। उक्त स्थल के मध्य कोई मंदिर, मस्जिद, कब्रस्तान, धार्मिक स्थल आदि नहीं पड़ते हैं, स्थल का निरीक्षण भूगर्भवेत्ता द्वारा किया जा चुका है, भूगर्भीय दृष्टि से यह उचित पाया गया है। उक्त प्रयोजन हेतु 0.893 हे0 में ही भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव गठित किया जा रहा है जो कि निर्माण हेतु न्यूनतम है।

अतः 0.893 हे0 सिविल/आरक्षित वनभूमि की आवश्यकता है, जो न्यूनतम है। उक्त वनभूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशाली अभियन्ता
प्रा0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

संख्या- ⁵³⁸¹ / 111(2) / 12-18(प्रा.आ.) / 2009

प्रेषक,

महिमा,

अनु सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,

लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक नवम्बर, 2012

विषय:- वित्तीय वर्ष 2012-13 में जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट- घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब एवं घांघरिया-फूलों की घाटी 22.00 किमी० पैदल मार्ग के सुदृढीकरण, रैन शेल्टर, मूल हट एवं गैंगहट निर्माण सहित निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, पौड़ी गढ़वाल के पत्र सं०-3241/07(156) याता०-पर्व०/2012 दिनांक 09.10.2012 एवं अधीक्षण अभियन्ता, सातवां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर के पत्र सं०-7432/54 याता०-07/2012 दिनांक 20.10.2012 द्वारा उपलब्ध कराया गया विस्तृत आगणन के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब एवं घांघरिया-फूलों की घाटी पैदल मार्ग के सुदृढीकरण, रैन शेल्टर, मूल हट एवं गैंगहट निर्माण कार्य सहित आगणन लागत रु० 735.00 लाख पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रु० 666.69 लाख (रु० छः करोड़ छियासठ लाख उन्हत्तर हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु रुपये 1.00 लाख (रु० एक लाख मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय करने की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 2- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- 3- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
- 4- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- 5- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।
- 6- एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन पर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 7- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- 8- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भौति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू-गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
- 9- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

प्रतिभा

सत्य प्रमाणित
24/11/2012
सहायक अभियन्ता
घांघरिया-फूलों की घाटी

-2-

- 10- प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाला अनुबन्ध में निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- 11- ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में **Debitable** आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- 12- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।
- 13- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्वाइमेंट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-2 पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- 14- यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
- 15- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक-31.03.2013 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टैण्डर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जायेगा।
- 16- आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।
- 17- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 18- उक्त कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि रु0 1.00 लाख का बजट आबंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-183/xxvII/1(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22 के अन्तर्गत अलॉटमेंट आई0डी0 सं0-S1211220030 दिनांक 02 नवम्बर, द्वारा आपको आबंटित कोड सं0 4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।
- 19- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़के-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 बृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
20. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-723/ XXVII(2)/2012 दिनांक 02 नवम्बर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

महिमा

सहायक

सहायक

सहायक

सहायक

भवदीय,

(महिमा)

अनु सचिव

-3-

538/
संख्या- / 111(2)/11-18(प्रा.आ.) / 2009 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल पौड़ी।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी चमोली।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी।
5. अधीक्षण अभियन्ता, सातवां वृत्त लो०नि०वि० गोपेश्वर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० गोपेश्वर।
9. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
10. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)

अनु सूचिव

सत्य प्रतिलिपि

सहायक अभियन्ता
प्रा० ख० वि० लो० नि० वि०
गोपेश्वर

प्रेषक,

अरविन्द सिंह हयांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

30.5.14

देहरादून: दिनांक: 30 सितम्बर, 2014

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:-

जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब यात्रा मार्ग में गोविन्द घाट में वाहनों के लिए पार्किंग का निर्माण, क्षतिग्रस्त खड़ण्जा की मरम्मत, रेलिंग, रेन सेल्टर, कंक्रीट वैसेज, सुलभ शौचालय, गार्वज डिस्पोजल विनस एवं हाई मास्ट लाइट आदि विविध निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा उपर्युक्त विषयक कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन, जिसकी लम्बाई 20.00 तथा लागत ₹ 1314.78 लाख है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 1268.35 लाख (₹ 1225.17 लाख + ₹ 43.18 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i) प्रस्तुत आगणन में प्राविधानित सुलभ शौचालय से सम्बन्धित कार्य का निर्माण सुलभ इंटरनेशनल सोशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिपॉजिट कार्य के रूप में कराया जायेगा। उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।

(iii) स्वीकृत किये जा रहे विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाय।

(iv) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(v) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(vi) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(vii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

(viii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन सुनिश्चित करें।

(ix) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(x) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सापेक्ष कोई अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के सापेक्ष यदि कोई कार्य पूर्व में स्वीकृत है अथवा अन्य विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया है तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2015 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) से निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xiii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22 लेखाधीन-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 413/XXVII(2)/2014 दि०:-30 सितम्बर, 2014 प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या:- 5382 (1)/11(2)/14-26(प्र०आ०)/2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, चमोली।
4. मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि. पौड़ी।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/चमोली।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(ए०एस०पांगती)
उप सचिव

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झूला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 04 एवं 05.09.2015 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री रघुनाथ सिंह नेगी, वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से सहायक राजस्व निरीक्षक, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री राजेश थपलियाल, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 0.723 हे०, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.170 हे०, वन पंचायत भूमि 0.00 हे० एवं नाप भूमि 0.00 हे० प्रभावित होती है। इस प्रकार उपरोक्त समस्त प्रयोजन हेतु कुल 0.893 हे० सिविल/आरक्षित वनभूमि की आवश्यकता होगी। मार्ग निर्माण हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि की चौड़ाई 3 मी० ली गई है एवं मार्ग का निर्माण 3 मी० चौड़ाई में किया जायेगा। वृक्षों की सूची संलग्न है। इसके अतिरिक्त 3 नं० म्यूलहट निर्माण हेतु 180 वर्ग मी०, 0.018 हे०, 3 नं० रैन शेल्टर हेतु 60 वर्ग मी०, 0.006 हे०, 2 नं० गैंग हट हेतु 40 वर्ग मी०, 0.004 हे०, झूला पुल निर्माण हेतु 800 वर्ग मी०, 0.080 हे०, ट्राली निर्माण हेतु 50 वर्ग मी०, 0.005 हे०, हैलीपैड हेतु 1800 वर्ग मी०, 0.18 हे० एवं 2.00 मी० लम्बाई में वासआउट पैदल मार्ग का 3 मी० चौड़ाई में पुर्ननिर्माण हेतु 0.60 हे० सिविल/आरक्षित वनभूमि की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि न्यूनतम है। इस समरेखन पर/चुने गये स्थल पर लगभग 37 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे। उपरोक्त प्रयोजन हेतु उपलब्ध भूमि के अतिरिक्त कोई भी विकल्प मौजूद नहीं है।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चुने गये समरेखण का प्रारम्भ होने का स्थल का जी०पी०एस० मान 79°34'31.30" – E, 30°38'23.50" – N है। अन्तिम स्थल निर्माणाधीन हैलीपैड है, जिसका जी०पी०एस० मान 79°36'39.11" – E, 30°41'53.38" – N है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं होगा एवं उपरोक्त निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलवे का निस्तारण निर्माण कार्यों में ही कर दिया जायेगा।

तहसीलदार
तहसीलदार
जोशीमठ।

अमीन

वन विभाग अधिकारी
बोधीमठ

सहायक अभियन्ता

वन क्षेत्राधिकारी

बुलों की घाटी रा० पार्क रोड
गोविन्द घाट (चमोली)

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क
बोधीमठ

अधिशासी अभियन्ता
प्र०खं० लो०नि०वि,
गोपेश्वर

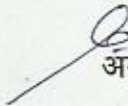
न दा देवी राष्ट्रीय पार्क
जोशीमठ (चमोली)

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र।

प्रस्तावित परियोजना हेतु दो संरेखणों पर विचार किया गया, समरेखण नम्बर एक उचित एवं उपयुक्त पाया गया, संरेखण नम्बर दो भूगर्भीय एवं पर्यावरणीय दृष्टि से अनपयुक्त पाया गया।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता

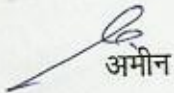

अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

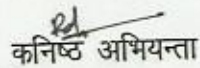
न्यूनतम भूमि का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

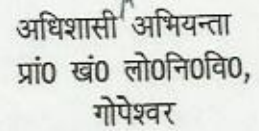
जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

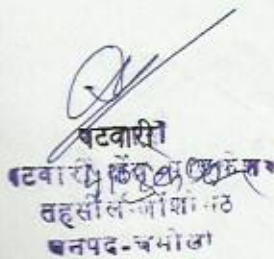
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण के हेतु जो सिविल/आरक्षित वन भूमि ली गयी है, वह न्यूनतम है तथा लो0नि0वि0 मानक के अनुसार इससे कम भूमि में निर्माण सम्भव नहीं है।

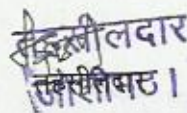

अमीन

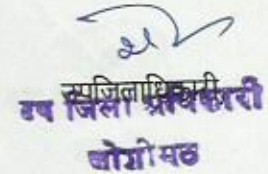

कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर


उप-विभागीय अधिकारी
जनपद-चमोली


उप-विभागीय अधिकारी


उप-विभागीय अधिकारी
जोशीमठ

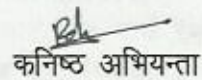
वैकल्पिक भूमि का प्रमाण पत्र

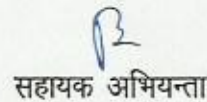
परियोजना का नाम :-

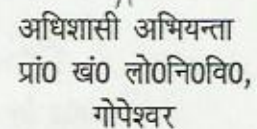
जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूल्हट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

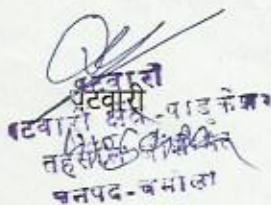
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूल्हट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड के निर्माण हेतु जिस सिविल/आरक्षित वनभूमि का चयन किया गया है, इसके अतिरिक्त कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। यह भूमि केवल उपरोक्त निर्माण के लिये ही प्रयोग में ली गई है, तथा अन्य सार्वजनिक कार्य में नहीं ली जायेगी।

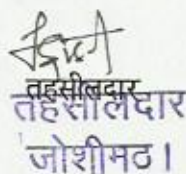

अमीन

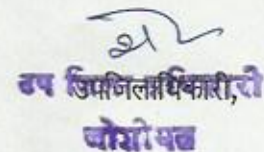

कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रां० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


उप-विभागीय अधिकारी,
जनपद-चमोली

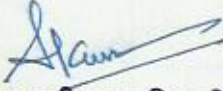

तहसीलदार
जोशीमठ।


उप-विभागीय अधिकारी,
जोशीमठ

लैण्ड शैड्यूल (आरक्षित)

कार्य का नाम :- जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घाघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जनपद का नाम	वन प्रभाग	राजि कार्यालय	कम्पार्ट नं०	याचित क्षेत्रफल हे० में
1	2	3	4	6
चमोली	नन्दा देवी	गोविन्दघाट	4 ब	0.723
	राष्ट्रीय पार्क		तल्ला पैनखण्डा	
	जोशीमठ		कम्पाटमेंट नं०	
			10	


वन प्रभागीय वनाधिकारी
नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क
जोशीमठ

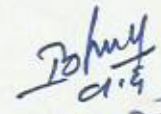

नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क
जोशीमठ (चमोली)


वन प्रभागीय अधिकारी
तूल्की घाटी रा० पार्क रेन्ज
गोविन्द घाट (चमोली)


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता

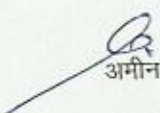

राजत सिंह निप्ट
वन दरोगा/अनुभाग अधिकारी/रौ

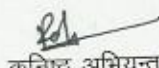

अधिशाली अभियन्ता
प्रा.खं. लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

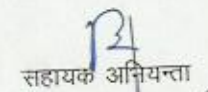
लेण्ड रीडयुल (सिविल)

कार्य का नाम :- जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलम शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जनपद का नाम	तहसील	ब्लाक	कुल खसरा नंबर	कुल रकबा हे० में	याचित क्षेत्रफल हे० में
1	2	3	4	5	5
चमोली	जोशीमठ	जोशीमठ	6	0.170	0.170
		योग :-	6	0.170	0.170

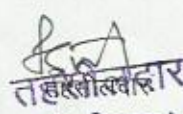

अमीन

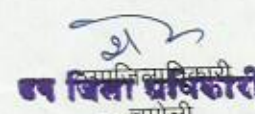

कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता

अधिसासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
गोपेश्वर


उपराजस्व निरीक्षक
एटवाही, थंडा, डोडा, जोशीमठ
तहसील जोशीमठ
जनपद-चमोली


तहसीलदार
जोशीमठ।


उप जिला अधिकारी
चमोली
जोशीमठ

लम्बाई एवं चौड़ाई का प्रमाण पत्र

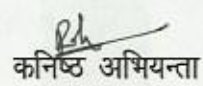
परियोजना का नाम :-

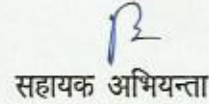
जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन,शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

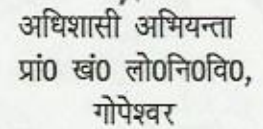
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड के निर्माण में चयनित स्थल हेतु 0.893 हे0 सिविल/आरक्षित वनभूमि पड़ती है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

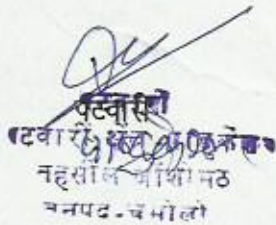
1700 वर्ग मी0	-	0.170 हे0 सिविल वनभूमि
7230 वर्ग मी0	-	0.723 हे0 आरक्षित वनभूमि

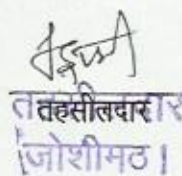

अमीन

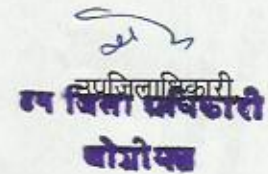

कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर


उपनिरीक्षक
नहरोल पोस्टा मठ
जनपद - चमोली


तहसीलदार
जोशीमठ।


उपनिरीक्षक
बोगोयब

बार चार्ट

कार्य का नाम :- जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलम शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।



संकेत

सिखिल वनभूमि - 0.170 हेक्टेयर

आरक्षित वनभूमि - 0.723 हेक्टेयर

अधिशाली अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

उप-प्रभारी वनाधिकारी
नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क
बोपा, 1438

12/05/2024
अधिशाली अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

उप-प्रभारी वनाधिकारी
नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क
बोपा, 1438

12/05/2024

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-धांधरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वॉछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।


J.E.


AE


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर


अ.नि.

पेड़ों की सूची

कार्य का नाम :- जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलम शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्रम सं०	कम्पार्टमेंट या गांव का नाम	पेड़ों की प्रजाति	पेड़ों की संख्या	पेड़ों की उम्र या व्यास सेमी०	वृक्षों की संख्या		वृक्षों की दर	वृक्षों की कीमत	वानस्पतिक नाम
					काबिल	नाकाबिल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कम्पार्टमेंट नं० 4 ब तल्ला पैनखण्डा	जामुन	3	10-20			190.00	570.00	Sygzium cumini
			1	20-30			1160.00	1160.00	
			2	30-40			3320.00	6640.00	
		कांचुला	2	10-20			450.00	900.00	Acer caesium
			7	20-30			1170.00	8190.00	
			1	30-40			2700.00	2700.00	
			1	40-50			4530.00	4530.00	
		अखरोट	1	10-20			190.00	190.00	Junglens regia
			2	20-30			960.00	1920.00	
			1	30-40			1750.00	1750.00	
			3	40-50			5710.00	17130.00	
			2	70-80			12100.00	24200.00	
		रागा	2	10-20			330.00	660.00	Picea Smithiana
			1	20-30			750.00	750.00	
			1	40-50			3420.00	3420.00	
		बुरांश	1	10-20			80.00	80.00	Rhododendron
			1	20-30			160.00	160.00	
		मोरु	1	30-40			676.00	676.00	Quercus himalya
		जमनोई	3	10-20			80.00	240.00	Andromeda
			1	20-30			160.00	160.00	
		योग :-	37					76026.00	

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशारी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० गि० वि०,
गोपेश्वर

वन विभाग
चमोली जिला
नहनाल जिला
जनपद चमोली

तहसीलदार
चमोली

उपजिलाधिकारी
चमोली जिला प्रधिकारी
चमोली

वन विभाग
चमोली जिला
नहनाल जिला
जनपद चमोली

वन विभाग
चमोली जिला
नहनाल जिला
जनपद चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क
चमोली

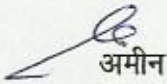
वन विभाग
चमोली जिला
नहनाल जिला
जनपद चमोली

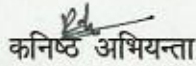
न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र

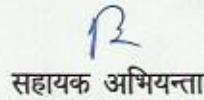
परियोजना का नाम :-

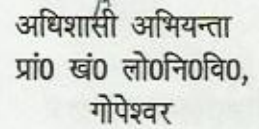
जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया -हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट एवं सुलभ शौचालय निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट एवं सुलभ शौचालय निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रां० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

परियोजना का नाम:-

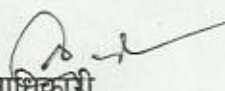
जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना की राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण से दूरी का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सेतु/मार्ग से राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण की दूरी २५ किमी० है।


उप प्रभागीय वनाधिकारी
नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क
जोशीमठ


वन क्षेत्राधिकारी
कुलों की घाटी रा० पार्क रेन्ज
गोविन्द घाट (चमोली)

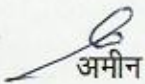

प्रभागीय वनाधिकारी
नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क
जोशीमठ (चमोली)

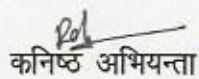
वन्य जीव/राष्ट्रीय पार्क से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

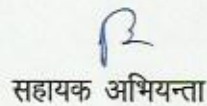
परियोजना का नाम :-

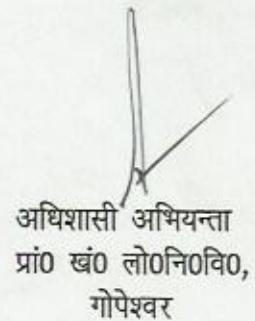
जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु 0.893 हे० सिविल/आरक्षित वनभूमि, राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव बिहार का हिस्सा नहीं है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशास्ती अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

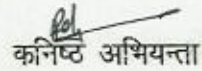
वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

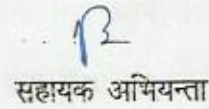
परियोजना का नाम :-

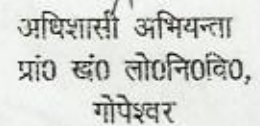
जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया -हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट एवं सुलभ शौचालय निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट एवं सुलभ शौचालय निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिसारी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० दि०,
गोपेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड आदि का निर्माण जनहित का निर्माण है। इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ग्राम वासियों की आम सभा हुई। आम सभा में निर्णय लिया गया कि इस निर्माण पर पड़ने वाली नाप भूमि/आरक्षित/वन पंचायत/आरक्षित भूमि आदि किसी प्रकार की भूमि में निर्माण में इस ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है।



कार्य प्रारम्भ न करने का प्रमाण पत्र

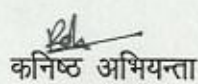
परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

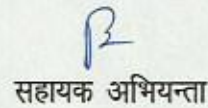
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण में कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। वन भूमि हस्तान्तरण होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।



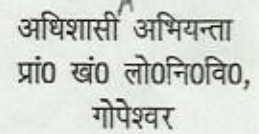
अमीन



कनिष्ठ अभियन्ता



सहायक अभियन्ता



अधिशास्त्री अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

(49)

**Site Selection and Geological Assessment of the selected Foot Bridge and
Electric Cable Car Site at Bhyundar km across River Laxmananga,
Chainage 10.00 Govindghat-Hemkund Sahib Foot Trek,**

Distt. Chamoli

17/07/2015

1- Introduction: - The Provisional Division, PWD, Gopeshwar has been entrusted for the construction of a ~170 m span foot bridge and a 112 m long electric cable car on Laxmanganga or Pushpawati river at Bhyundar village located along Ch Km 10.00 of Govindghat-Hemkund Sahib foot trek. During the site selection the site engineers noticed problems related to the slope failure in the area. In order to select the suitable construction site and for the geological assessment of the selected site along with remedial measures Er. G.C. Vishwakarma, Superintendent Engineer, Yatra Vyavastha, PWD Govindghat district Chamoli requested the under signed to make a site visit. Consequent to the request site visit was made on 10/07/2015. Er. Shiva Prajapati, Assistant Engineer, PWD Govindghat was present during the site visit.

2- Topographical Information/Location: The above said site is located near village Bhyundar on Govindghat-Hemkund Sahib foot trek in District Chamoli. The co-ordinates recorded by GPS at the right bank of the site on the foot trek with elevation, masl are as follows-

Latitude	: 30° 40' 41.20"
Longitude	: 79° 35' 31.12"
Approximate Elevation	: 2617 M



Fig: 1 Satellite View of the Site

3- Site Selection: - During the field visit it was observed that along the left bank of the river there is almost continuous exposure of sound and competent rock whereas on the right bank rock mass is concealed under thick overburden and talus material. It was also observed that the area upstream of the present site was unsafe for the construction of any structure due to the prevalence of avalanche chutes along which during the winter season snow, ice and rocks slide down the slope which will damage anything coming their way and also the gradient of the river is high in the upstream locations which will lead to the faster erosion of the toe especially of the right bank which constitutes almost entirely of overburden material therefore damaging the bridge and cable car components severely. Taking that into consideration three places were selected for the bridge site ie; 1A, 1B and 1C from upstream to downstream direction. Out of which site 1B was found to be appropriate for the construction of the bridge due to following reasons: the sites upstream and downstream (1A and 1C) of 1B will have longer bridge spans, and on the right bank which has no bed rock exposure the sites 1A and 1B located along vertical cut slope faces consisting of thick overburden and slope material which consists of huge rocks embedded in the loose soil and mud which during the rainy season gets washed away leading to rock falls.

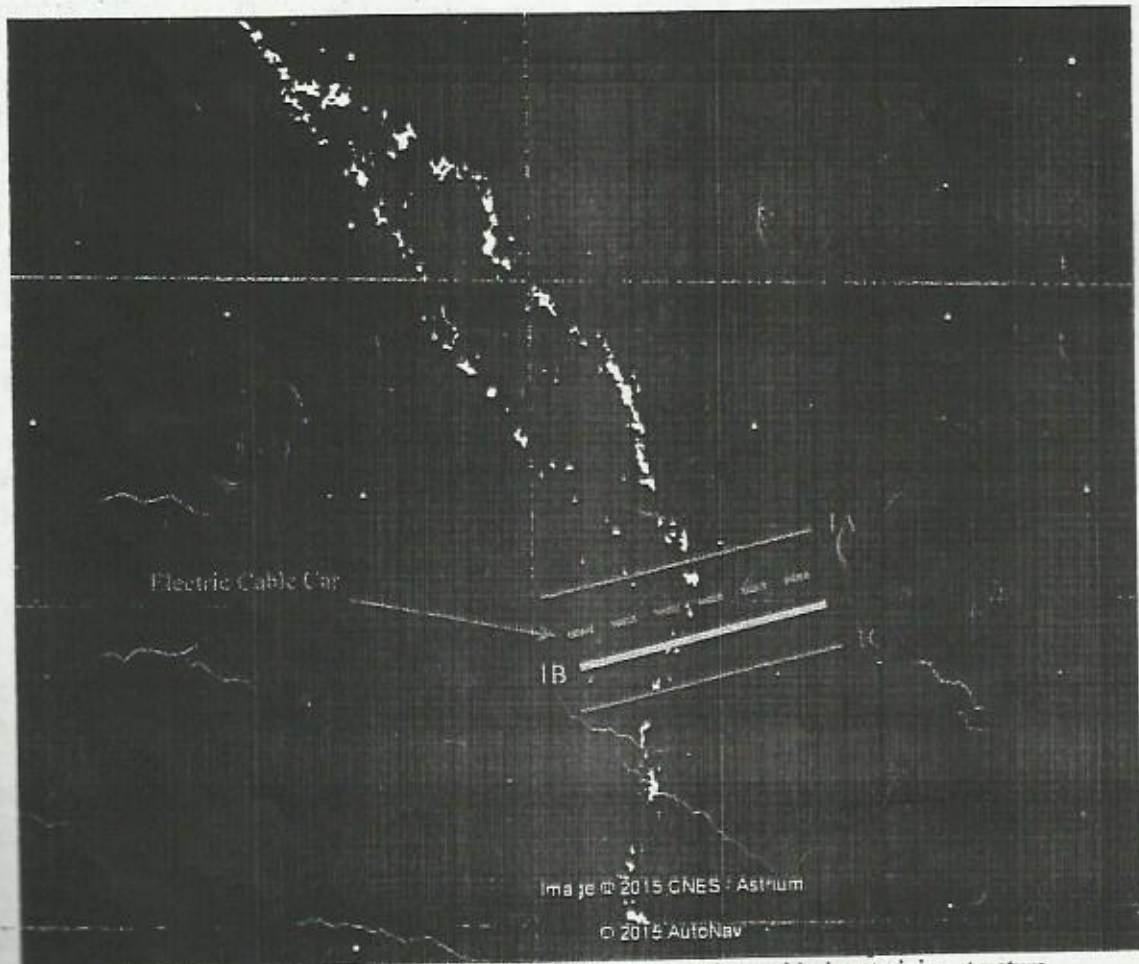


Fig: 2 Different alignments of bridge & electric cable car along with river training structure

Site for the construction of electric cable car is selected 15 m upstream of bridge site number 1B ie; between site number 1A and 1B.

The selected bridge and electric cable car sites on the right bank lie between two avalanche chutes, these chutes are 600 to 700 m upstream and downstream of the selected site. Hence the selected sites are safe in comparison to the other locations.

4- Geological Assessment: - Geologically, the area falls under the Higher Himalayan zone, described as the Himadri Complex by (Valdiya, 1973; Valdiya and others, 1999). Lithologically, the area is characterized by calc-silicates with sillimanite-kyanite-garnet-biotite gneiss and schist with tourmaline granite (pegmatite-apatite veins). The rocks around the site are variants of quartz biotite gneiss which are generally quartzitic.

The site lies in the Laxmanganga (or Pushpawati gad) valley 200 m upstream of the confluence of Laxmanganga river meets Kagbhushandi Gad at a chainage 10.00 km on Govindghat-Hemkund Sahib foot trek. Along the confluence of the two rivers lies a village known as Bhyundar. The river Laxmanganga nearly flows from north to south direction at a moderate gradient whereas Kagbhushundi gad roughly flows from east to west direction. The area receives heavy rainfall during the monsoons and during the floods of June 2013 both Laxmanganga and Kagbhushandi Gad rivers changed their courses (Fig: 3) due to which nearly the whole village of Bhyundar was washed away causing massive loss of property.

The right abutment site of the bridge consists of thick overburden and talus material which consist of huge boulders embedded in the loose silty clay and mud with no rock exposure in its vicinity. The hill slope of the right abutment declines towards N 80° direction, with slope having a vertical cut face of 10 to 30 m height initially, followed by a gentle slope of 30° which gets steeper 150 m further up. The bearing of the bridge alignment from the right abutment is N75° E.

The left abutment site of the bridge consists of fresh, sound and competent bed rock which is quartzitic variant of Quartz Biotite Gneiss with an estimated UCS ~ 100 MPa. The hill slope of the left abutment declines towards S85° W direction, with a steep slope angle of > 70°.

The azimuths of the major discontinuity planes along the site are:

F: EW/55°/N, Rough Planar, 5 to 30 cm spacing, >250 cm persistence, tight to 1 mm opening with no filling.

J₂: N150°/60°/240°, Smooth to rough Planar, 30 to 45 cm spacing, ~50 cm persistence, 1 to 5 mm opening with no filling.

J₃: N205°/85°/295°, Rough Planar, 15 to 30 cm spacing, ~50 cm persistence, tight to 1 mm opening with no filling.

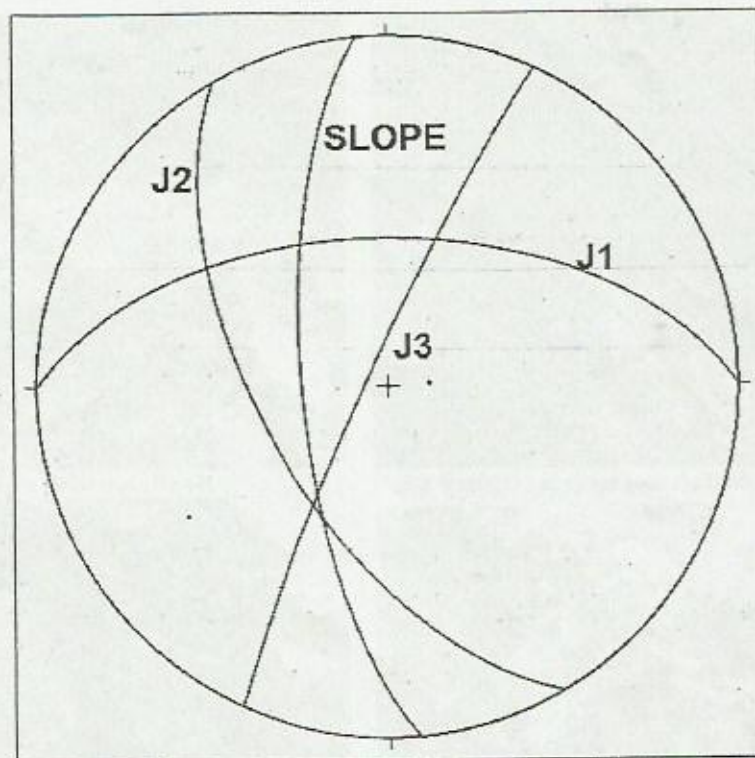


Diagram: 1 Stereonet projection of joints sets of left bank 1B

The stereonet projection of the joint sets of left bank abutment site 1B shows the formation of a wedge between the joints J_2 and J_3 . However, the wedge direction is oblique to the slope direction which does not favour the wedge failure along this slope.



Fig: 3 Old course of Laxmanganga and Kagbhushandi Gad



Fig: 4 Close view of the right abutment site 1B



Fig: 5 Vertical cut slope face right abutment site 1A



Fig: 6 View of left abutment site from the right bank

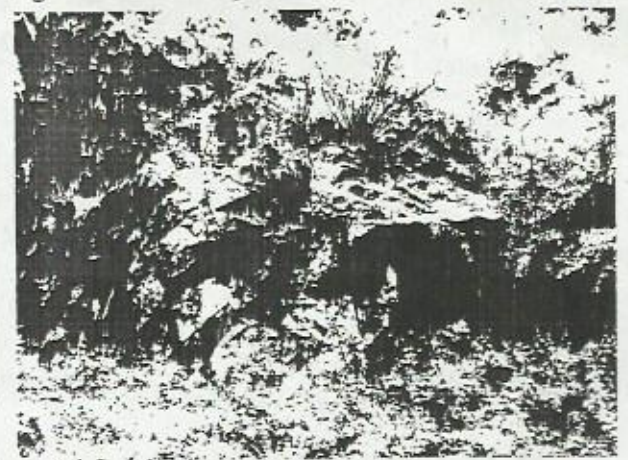


Fig: 7 Closer view of left abutment site 1B



Fig: 8 Loose boulders hanging near right abutment site 1C

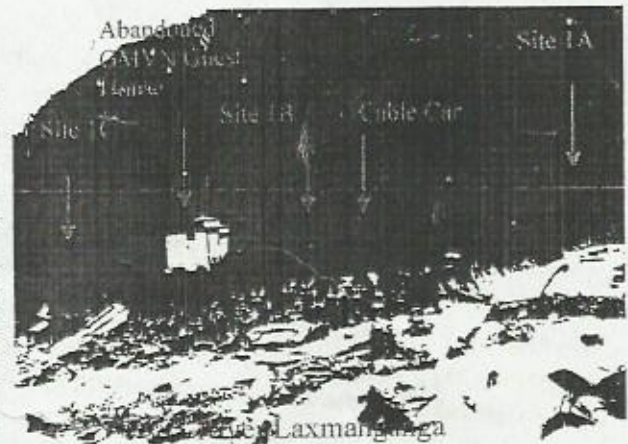


Fig: 9 View of different locations on left bank



Fig: 10 Vertical cut slope downstream of the site right bank



Fig: 11 View of the valley looking downstream

5- Seismicity: - According to the seismic zonation map of India the site falls under Zone V which corresponds to an intensity of IX on MM scale.

On the basis of the geological inspection of the site studies carried and the facts given above, the following recommendations are being made for the construction of the proposed road failing to these recommendations this report will be automatically treated as cancelled.

6- Recommendations:-

1. Blasting by explosives for the construction is to be avoided unless it gets very necessary, especially in the right abutment site where there is thick overburden and talus material so the use of explosives can further aggravate the problem of rock falls and mass wasting.
2. It is advised to perform all of the construction activities after the rainy season.
3. The banks of the river are to be protected (Fig: 2) by the help of gabion or other civil engineering provisions especially the right bank in which there is thick overburden. In the areas where the river strikes directly extra protection measures are to be taken.
4. Weep holes or proper drainage should also be provided on the support structures in order to allow water to pass through the overburden and loose material which will help in maintaining the shear resistance of the slope material.
5. River training has to be done (Fig: 2) especially on the right bank so that the river does not change its course during the season of high discharge.

- (58)
6. Grouting in the hill side of right abutment is to be done in arched fashion so as to strengthen the left abutment site by equal distribution of stresses posed by the weight of bridge and electric cable car structures.
 7. Prior to construction soil samples from the right abutment area are to be send for the evaluation of 'c' and ' ϕ ' values and construction and support plans are to made accordingly.
 8. It is advised to dispose the muck on the pre-identified muck disposal site in the downstream area.
 9. All the construction activities ought to be carried out as per the standard codes of practice laid by the BIS and MORTH.

6- Conclusion:- On the basis of the geological / geotechnical studies carried at the site and with the above recommendations, the proposed site at Govindghat-Hemkund Sahib foot trek Km 10.00 (Bhyundar Village) was found geologically suitable for bridge and electric cable car construction.

Tushar Sharma
14/07/2015
(TUSHAR SHARMA)
Assistant Geologist
Chief Engineers Office
(Garhwal Zone)
UKPWD, Pauri

Task Force Certificate

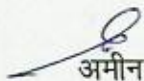
- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

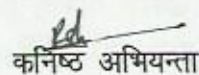
A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

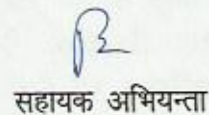
- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
- (v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slopes above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with good results.

- (vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

मानक शर्तें

(वन अनुभाग -3, उ0प्र0 शासन की पत्र संख्या 7314/14-3-980/82 दिनांक 31-12-1984 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भांति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी ।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जावेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदाति नहीं ।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा ।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है
5. हस्तांतरी विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायेगें, और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा ।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की देखभाल करेगा
7. हस्तांतरित वन भूमि पर विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तांतरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी ।
8. बहुमूल्य वन संपदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तांतरण यथासम्भव व्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन संपदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छंद विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तांतरित की जायेगी ।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग, संस्था या व्यक्ति बिना किसी प्रकार के प्रतिकर भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी । वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि (Automatic) स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगी ।
11. सड़क निर्माण में प्रस्तावों पर प्लानिङ्गमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता लो0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी. दिनांक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को मामूली फेरबदल कर पक्का करना होगा बशर्ते ऐसा याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है ।

12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धि प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा ।

13. वन भूमि में खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तरांचल वन विकास निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन करना आवश्यक हो, तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।

14. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकार बांज (OAK) के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।

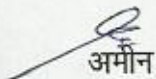
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊंचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है, जो न्यूनतम पेड़ों की संख्या सुयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक होगा।

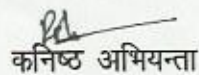
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-क्षरण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का कराना आवश्यक समझा जाता है, तो ऐसा याचक विभाग अपने व्यय से स्वयं करायेंगा।

17. उपरिलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगायी जाती हैं, तो वे याचक विभाग को मान्य होंगी।

18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

उपरोक्त शर्तें लोक निर्माण विभाग को मान्य हैं।


अमौन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता

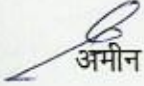

अधिसासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

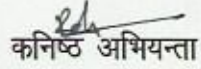
भूगर्भवेत्ता द्वारा दिये गये सुझावों के अनुपालन सम्बन्धित प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण के दौरान भूगर्भवेत्ता द्वारा अपने निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता

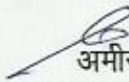

अधिशर्सी अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

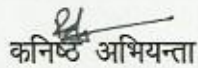
योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स प्रमाण पत्र

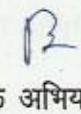
परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की सभी शर्तें याचक विभाग को पूर्ण रूप से मान्य है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता

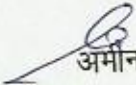

अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

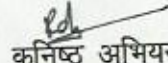
वनक्षेत्राधिकारी
मकान पेड़ आदि का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

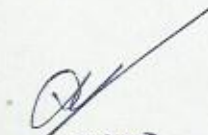
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड के निर्माण में पड़ने वाली भूमि के अन्दर कोई भी मकान, मंदिर, कब्रस्थान, मस्जिद आदि नहीं पड़ते हैं।

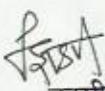

अमीन

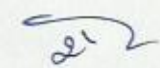

कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रां० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


पटवारी
गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब
तहसील-जोशीमठ
जनपद-चमोली

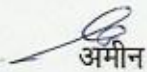

तहसीलदार
जोशीमठ।

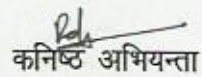

उपजिलाधिकारी
गोपेश्वर

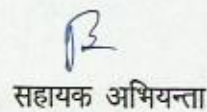
परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान लो०नि०वि० द्वारा वन्य जीव/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता

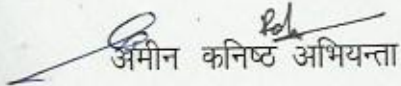

अधिशर्सी अभियन्ता
प्रा० ख० लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कैरोसिन आयल/वैकल्पिक ईंधन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण के समय विभागीय ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को कैरोसिन आयल/वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करा दिया जायेगा।


अमीन कनिष्ठा अभियन्ता


सहायक अभियन्ता

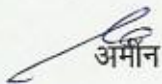

अधिशास्ती अभियन्ता
प्रां० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

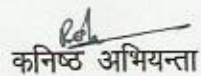
लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची एवं परिवारों की संख्या का प्रमाण पत्र

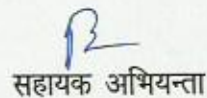
परियोजना का नाम :-

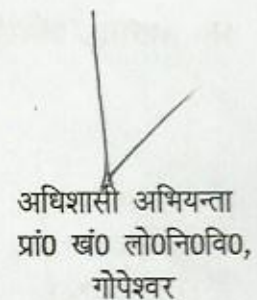
जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड के निर्माण हो जाने से लाखों पर्यटक, श्रद्धालुओं के साथ ही स्थानीय जनता को भी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रां० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

एन.पी.वी. प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वन भूमि की स्वीकृति मिलने पर एन.पी.वी. की धनराशि यदि मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा भविष्य में एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो लोक निर्माण विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप बढ़ी हुई एन०पी०वी० धनराशि का भुगतान वनविभाग को किया जायेगा।

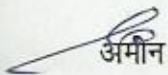
अधिकांशी अभियन्ता
प्रान्तीय स्तर पर लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

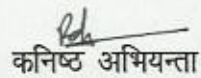
चैक लिस्ट का प्रमाण पत्र

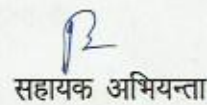
परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में चैक लिस्ट के अनुरूप समस्त सूचनायें संलग्न की गई हैं।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

फैक्ट सीट

- 1 कार्य का नाम :- जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु
- 2 प्रस्तावत भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हे.) :-

आरक्षित वन भूमि -	0.72
सिविल एवं सोयम वनभूमि -	0.170
वन पंचायत वन भूमि -	0.000
निजी भूमि -	0.893
योग -	0.893
- 3 प्रस्तावक विभाग का नाम :- प्रा.खण्ड, लो.नि.वि., गोपेश्वर
- 4 वन प्रभाग का नाम :- नन्दा देवी राष्ट्रीय पाक, जोशीमठ
- 5 प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है - हां/नहीं
- 6 प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है - हां/नहीं
- 7 क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग 1,2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गयी है - हां/नहीं
- 8 क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है - हां/नहीं
- 9 प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है - हां/नहीं
- 10 प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या सूची/प्रमाण पत्र संलग्न है - हां/नहीं
- 11 बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है - हां/नहीं
- 12 प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है - हां/नहीं
- 13 समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है - हां/नहीं
- 14 क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली घनत्व सही है - हां/नहीं
- 15 क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है - हां/नहीं
- 16 क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है - हां/नहीं
- 17 प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है - हां/नहीं
- 18 क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है - हां/नहीं

- 19 प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है - हां/नहीं
यदि हां तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है - हां/नहीं
- 20 क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है - हां/नहीं
- 21 प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है - (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाता है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें) हां/नहीं
- 22 क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-2 रंगों से भरा है - हां/नहीं
- 23 यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है - हां/नहीं
- 24 क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षक) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है -
- 25 यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों /कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय।
- 26 सड़क निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं - हां/नहीं
- 27 वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय) हां/नहीं
- 28 लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है - हां/नहीं
(5 हे. से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)
- 29 मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है - हां/नहीं
- 30 मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है - हां/नहीं
अथवा
मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है - हां/नहीं
- 31 राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न हैं - हां/नहीं
- 32 क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न है, यदि छाया प्रतियां संलग्न की गयी हैं तो क्या वे सत्यापित हैं - हां/नहीं
- 33 यदि वनभूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है -
- 34 वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है - हां/नहीं
- 35 क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है - हां/नहीं
- 36 क्या बैंक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्रा संलग्न हैं - हां/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फ़ैक्ट सीट एवं बैंक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई हैं

अधिश्लासी अभियन्ता
अधिश्लासी अभियन्ता
प्रान्तीय/राज्य प्रशासनिक विभाग
प्रोपेस्वर

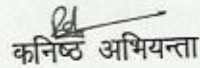
अन्य वैकल्पिक संरेखण प्रमाण पत्र

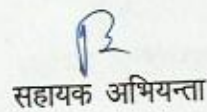
परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में उपरोक्त निर्माण हेतु विकल्पों पर विचार किया गया, किन्तु प्रस्तावित संरेखण/स्थल चयन उपयुक्त है। इस संरेखण से अधिक से अधिक ग्राम लाभान्वित हो रहे हैं तथा कम से कम वन सम्पदा का नुकसान हो रहा है। भू-गर्भवेत्ता द्वारा भी प्रस्तावित संरेखण को उपयुक्त बताया गया है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता

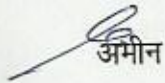

अधिशाली अभियन्ता
प्रां० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

स्थल विशिष्ट होने/न होने का प्रमाण पत्र

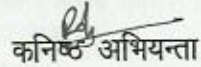
परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

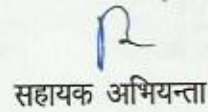
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में जोशीमठ विकास खण्ड के अन्तर्गत यह मार्ग पर्यटन की दृष्टि से विशिष्ट स्थल है।



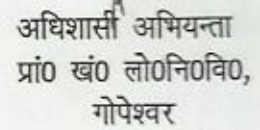
अमीन



कनिष्ठ अभियन्ता



सहायक अभियन्ता



अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

खसरे की नकल

कार्य का नाम :- जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलम शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, टाली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्रम सं०	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	खाता नम्बर	नाम भूमिधर	लिया गया रकवा हे०	भूमि किस्म	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ग्राम ग्युंडार (सिविल) :-						
	1 म०	1.280	13	उत्तराखण्ड सरकार	0.040	बंजर	
	68 म०	0.890	13	उत्तराखण्ड सरकार	0.050	बंजर	
	179 म०	0.301	13	उत्तराखण्ड सरकार	0.040	बंजर	
	219 म०	0.353	13	उत्तराखण्ड सरकार	0.030	बंजर	
	252 म०	0.310	13	उत्तराखण्ड सरकार	0.006	बंजर	
2	ग्राम पुलना (सिविल) :-						
	593 म०	0.201	11	उत्तराखण्ड सरकार	0.004	बंजर	
						गैंगर	
		3.335		योग :-	0.170		

पटवारी
तहसीलदार
जोशीमठ।
अमीन
कनिष्ठ अभियन्ता
जनपद-चमोली

उप जिला अधिकारी
जोशीमठ
सहायक अभियन्ता

अधिशाली अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-धांधरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(68)



अधीक्षक
वन विभाग
जोशीमठ

कनिष्ठ अभियन्ता

वन विभाग
जोशीमठ

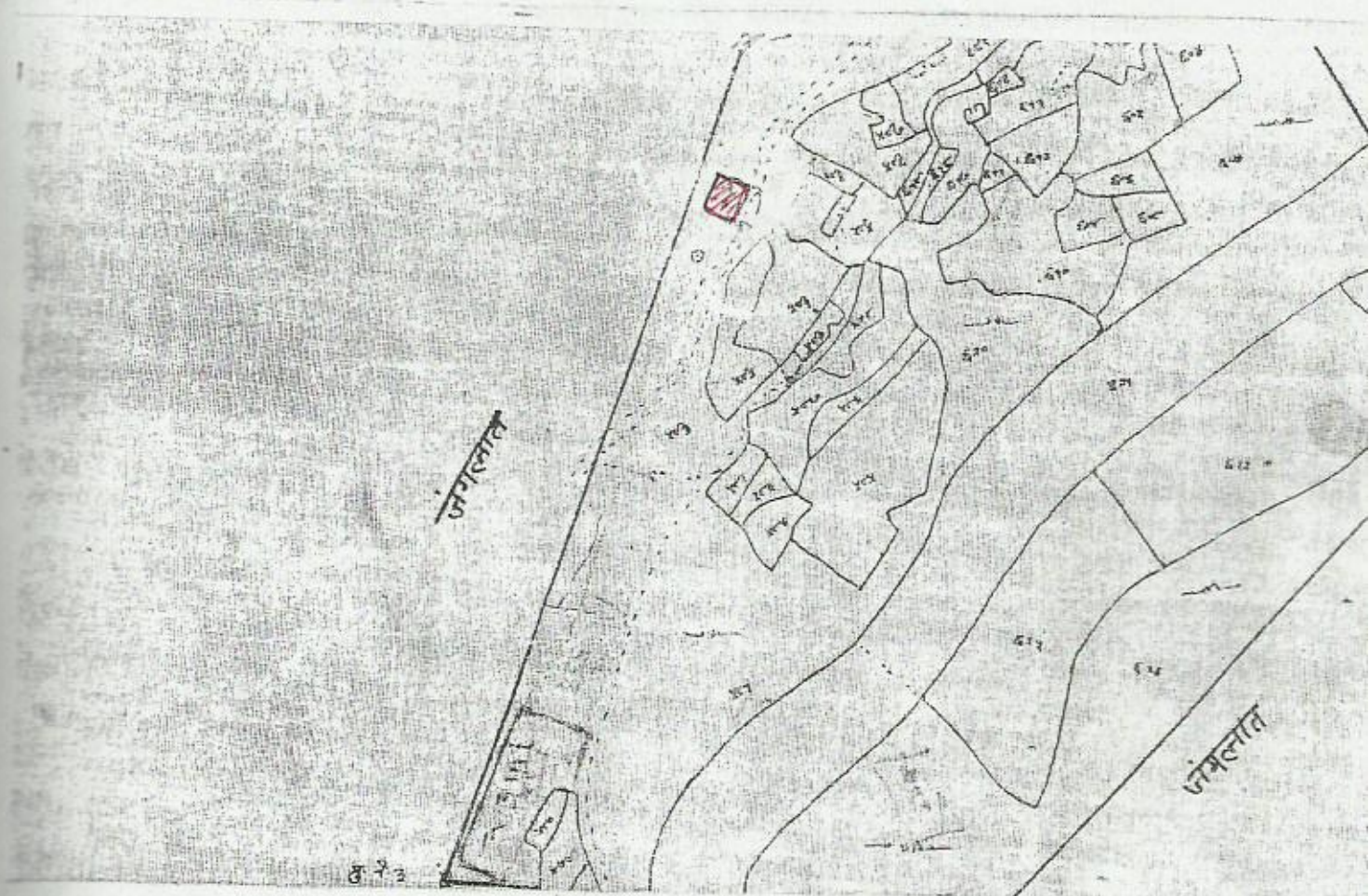
वन विभाग
जोशीमठ

सहायक अभियन्ता

वन विभाग
जोशीमठ

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।



नन्द देवी राष्ट्रीय पार्क
जोशीमठ (चमोली)

अमीन

उप प्रभागीय वनाधिकारी कनिष्ठ अभियन्ता
नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क
जोशीमठ

सहायक अभियन्ता
प्रा.ख., लो.नि.वि.वि. गोपेश्वर

वन अधिकारी
नन्दा देवी रा. पार्क रेंज
गोविन्द घाट (चमोली)

पटवारी
नन्दा देवी रा. पार्क रेंज
जोशीमठ
जनपद-चमोली

तहसीलदार
जोशीमठ

अधीनस्थ अभियन्ता
खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

उप निरीक्षक

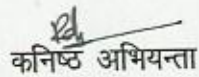
वन भूमि के मूल्य का प्रमाण पत्र

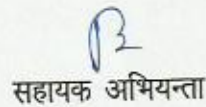
परियोजना का नाम :-

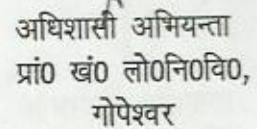
जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

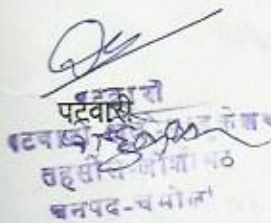
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड के निर्माण के पुर्ननिर्माण हेतु 0.893 हेक्टेयर सिविल/आरक्षित वनभूमि की आवश्यकता है, इस भूमि की लागत ₹ 398.00 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से निर्धारित है।

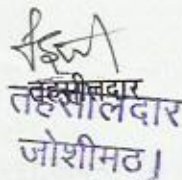

अमीन

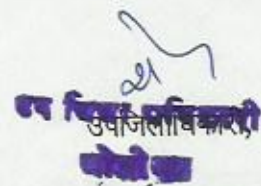

कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिसासी अभियन्ता
प्रां० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


पट्टावली
तहसीलदार
जनपद-चमोली


तहसीलदार
जोशीमठ।


उप-जिलाधिकारी
चमोली

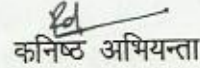
गैर वानिकी एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का प्रमाण पत्र

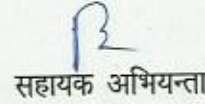
परियोजना का नाम :-

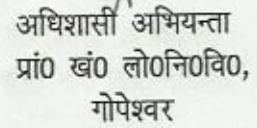
जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

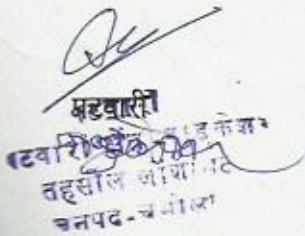
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड के निर्माण हेतु 0.893 हे० सिविल/आरक्षित वनभूमि की क्षति पूर्ति वृक्षारोपण लोक निर्माण विभाग के व्यय से अवनत वन भूमि के दुगने क्षेत्र में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण करा दिया जायेगा, तथा जो भी धनराशि वृक्षारोपण के लिये निर्धारित की जायेगी, लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा।

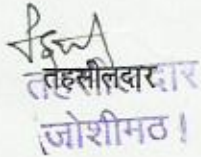

अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


सब-इंस्पेक्टर
तहसील जोशीमठ
जनपद-चमोली


तहसीलदार
(जोशीमठ)

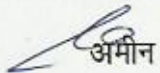

उप-विभागाधिकारी,
जोशीमठ

शर्त सहमति प्रमाण पत्र

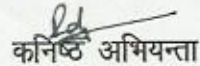
परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड के निर्माण हेतु ली गयी सिविल/आरक्षित वन भूमि हस्तांतरण हेतु भारत सरकार, राज्य सरकार व वन विभाग द्वारा लगाई गयी सम्पूर्ण शर्तें लोक निर्माण विभाग को मान्य हैं।



अमीन



कनिष्ठ अभियन्ता



सहायक अभियन्ता



अधिशर्ती अभियन्ता
प्रां० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

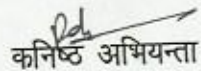
भूमि सम्बन्धित प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड के निर्माण हेतु प्रस्ताव में दर्शायी गयी भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि नहीं पड़ती है। वांछित वन भूमि न्यूनतम है।

 अमीन

 कनिष्ठ अभियन्ता

 सहायक अभियन्ता

 अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

आरक्षित/आरक्षित/वन पंचायत वन भूमि का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु 0.893 हे० सिविल/आरक्षित वनभूमि ली गई है, उसको सेतु/मार्ग निर्माण के प्रयोजन हेतु संस्तुति की जाती है।

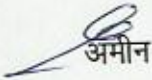

सहायक अभियन्ता

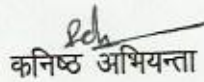

अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

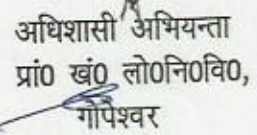
पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशाली अभियन्ता
प्रां० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

उत्पादित मलवे का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु जो भूमि ली जा रही है, मार्ग का निर्माण उसी चौड़ाई में किया जायेगा तथा मार्ग निर्माण से उत्पादित मलवे का निस्तारण शेष भूमि में करने का प्रयास किया जायेगा। यह मार्ग की पूरी लम्बाई में मार्ग के साथ ही किया जायेगा।

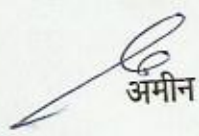

सहायक अभियन्ता

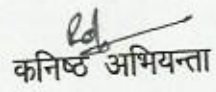

अधिशासी अभियन्ता
प्रां० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

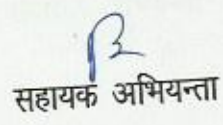
परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

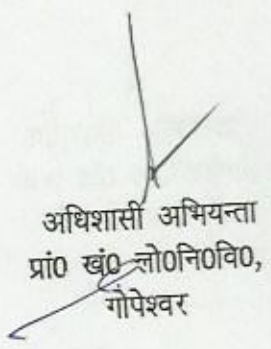
प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना में वृक्षों की सूची संलग्न है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता

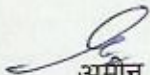

सहायक अभियन्ता

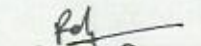

अधिसासी अभियन्ता
प्रां० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी जायेगी।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशाली अभियन्ता
प्रां० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

प्राक्लन वावत- जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शैल्टर, मूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झूला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

क्षेत्रफल - 0.893 है0 ,

कार्य का नाम- रिक्त स्थानों पर 100 वृक्षारोपण योजना 10 वर्षों के लिए

रेंज- फूलों की घाटी रेंज गोविन्दघाट । प्रभाग नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क जोशीमठ

वर्ष 2016

प्रथम वर्ष					
क्र०सं०	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सर्वेक्षण कार्य करना	0.893 है0	है0	229.00	204.49
2	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु गड्ढे खुदान कार्य करना (0.60× 0.60 × 0.60)	100	सं०	11.95	1195.00
3	गड्ढे भरान कार्य करना (0.60× 0.60 × 0.60) सेमी व्यास वर्ग	100	सं०	1.79	179.00
4	पौध की कीमत	100	सं०	6.00	600.00
5	ट्री गार्ड कर्य करना	100	सं०	1500.00	150000.00
6	ट्री गार्ड वाहन में चढ़ाना व उतारना	100	सं०	75.00	7500.00
7	ट्री गार्ड का दुलान वाहन द्वारा	100	सं०	ल०स०	3000.00
8	ट्री गार्ड सीमेन्ट मसाले में फीटिंग करना	100	सं०	75.00	7500.00
9	ट्री गार्ड पर पेन्ट करना व लिखाई कार्य करना	100	सं०	100.00	10000.00
10	अन्य व्यय	ल०स०	—	—	2000.00
	योग				182178.49
द्वितीय वर्ष					
1	पौध की कीमत (द्वितीय वर्ष)	100	पौध	6.20	620.00
2	पौध रोपण कार्य करना	100	पौध	3.40	340.00
3	पौध दुलान व्यय	100	पौधे	6.80	680.00
4	अग्नि सुरक्षा कार्य	ल०स०	—	—	2000.00
5	अन्य कार्य	ल०स०	—	—	2000.00
6	देखरेख हेतु दैनिक श्रमि चौकीदार का पारिश्रमिक (8 माह)	—	—	3000 प्र०माह	24000.00
	योग				29640.00
तृतीय वर्ष 10%					
1	पौध रोपण कार्य	10	सं०	3.40	34.00
2	पौध दुलान कार्य	10	सं०	6.80	68.00
3	पौध की कीमत द्वितीय वर्ष	—	—	6.80	68.00
4	अग्नि सुरक्षा कार्य	—	—	ल०स०	1000.00
5	अन्य व्यय	—	—	ल०स०	1000.00
6	निराई गुडाई कार्य करना प्रथम व द्वितीय	100	सं०	1.18	118.00
7	देख रेख हेतु श्रमिक चौकीदार (12 माह तक)	—	—	3000 प्र०माह	36000.00
	योग				38288.00
चतुर्थ वर्ष					
1	अन्य व्यय	ल०स०	—	—	1000.00
2	पौधों की निराई गुडाई कार्य करना प्रथम व द्वितीय	100	सं०	1.34	134.00
3	देखरेख हेतु श्रमिक चौकीदार 12 माह तक	—	—	3000 प्र०माह	36000.00
	योग				37134.00
पंचम वर्ष					
1	अन्य व्यय	ल०स०	—	—	1000.00
2	पौधों की निराई गुडाई कार्य करना प्रथम व द्वितीय	100	सं०	1.34	134.00
3	देखरेख हेतु श्रमिक चौकीदार 12 माह तक	—	—	3000 प्र०माह	36000.00
	योग				37134.00

षष्ठम वर्ष					
1	अन्य व्यय	ल0स0	—	—	1000.00
2	पौधों की निराई गुड़ाई कार्य करना प्रथम व द्वितीय	100	सं0	1.34	134.00
3	देखरेख हेतु श्रमिक चौकीदार 12 माह तक	—	—	3000 प्र0माह	36000.00
	योग				37134.00
सप्तम वर्ष					
1	अन्य व्यय	ल0स0	—	—	1000.00
2	पौधों की निराई गुड़ाई कार्य करना प्रथम व द्वितीय	100	सं0	1.34	134.00
3	देखरेख हेतु श्रमिक चौकीदार 12 माह तक	—	—	3000 प्र0माह	36000.00
	योग				37134.00
अष्टम वर्ष					
1	अन्य व्यय	ल0स0	—	—	1000.00
2	पौधों की निराई गुड़ाई कार्य करना प्रथम व द्वितीय	100	सं0	1.34	134.00
3	देखरेख हेतु श्रमिक चौकीदार 12 माह तक	—	—	3000 प्र0माह	36000.00
	योग				37134.00
नवम वर्ष					
1	अन्य व्यय	ल0स0	—	—	1000.00
2	पौधों की निराई गुड़ाई कार्य करना प्रथम व द्वितीय	100	सं0	1.34	134.00
3	देखरेख हेतु श्रमिक चौकीदार 12 माह तक	—	—	3000 प्र0माह	36000.00
	योग				37134.00
दशम वर्ष					
1	अन्य व्यय	ल0स0	—	—	1000.00
2	पौधों की निराई गुड़ाई कार्य करना प्रथम व द्वितीय	100	सं0	1.34	134.00
3	देखरेख हेतु श्रमिक चौकीदार 12 माह तक	—	—	3000 प्र0माह	36000.00
	योग				37134.00
	कुल योग—				510044.49
				या	5;10,000.00

वन क्षेत्र अधिकारी
मन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क
चमोली

पति इस्तेफारिह
उपप्रमाणिक वनाधिकारी
मन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमट

वन क्षेत्र अधिकारी
फूलों की घाटी रा0 पार्क रेन्ज
गोविन्दघाट— (चमोली)

(रघुनाथसिंह नेगी)
अनुभाग अधिकारी
मन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क
वन क्षेत्र. 5. रा. मन्दा देवी

कुल क्षेत्रफल-0.893 है०

प्रस्तावित स्थानों पर वृक्षारोपण का प्राक्कलन

फूलों की घाटी रेंज गोविन्दघाट ।

प्रभाग:- नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ
जी०पी०एस० लोकेशन ऊँचाई

वर्ष

1. अग्रिम मृदा कार्य (प्रथम वर्ष)

कार्य का विवरण	Dimantion			Quantity	Unit	Rate	Unit Rate	Amount
	L	B	H					
2	3	4	5	6	7	8	9	11
जल निकासी के लिए नाली काटना				0.893	मी	85.00		75.91
जल नाली के लिए कंकड़ काटना				0.893	मी	2630.00		2348.59
जल नाली के लिए मिट्टी	12	0.45	1.20	65	कमी०	195.00	प्रति कमी०	12675.00
जल नाली के लिए कंकड़ काटना	0.30	0.30	0.45	1786	कमी०	525.00	प्रति कमी०	9376.50
जल नाली के लिए मिट्टी काटना				1.5				5000.00
							योग	29476.00
								2947.60
							कुलयोग:-	32423.59

(रघुनाथसिंह मेहता)
अधीनस्थ अधिकारी
जल नाली काटना
वर्ष क्षेत्र...

कार्य का विवरण	Dimantion			Quantity	Unit	Rate	Unit Rate	Amount
	L	B	H					
2	3	4	5	6	7	8	9	11
मृदा से मृदा प्रो. प्रो. कार्य				0.893	टन	1329	प्रति टन	1186.79
मृदा से मृदा प्रो. प्रो. कार्य (प्रो. प्रो. 45cm गी.)	0.30	0.30	0.45	1786	मीटर	1	प्रति सेंकड़ा	1786.00
मृदा से मृदा प्रो. प्रो. कार्य				1786	मीटर	6.00	प्रति मीटर	10716.00
मृदा से मृदा प्रो. प्रो. कार्य	25			1786	मीटर	6	प्रति सेंकड़ा प्रति किमी	2679.00
मृदा से मृदा प्रो. प्रो. कार्य				1786	मीटर	42	प्रति सेंकड़ा	750.12
मृदा से मृदा प्रो. प्रो. कार्य				1786	मीटर	34	प्रति सेंकड़ा	607.24
मृदा से मृदा प्रो. प्रो. कार्य				1786	मीटर	112	प्रति सेंकड़ा प्रति किमी	2000.32
मृदा से मृदा प्रो. प्रो. कार्य				1786	मीटर	132	प्रति सेंकड़ा	3071.92
मृदा से मृदा प्रो. प्रो. कार्य				1786	मीटर	134	प्रति सेंकड़ा	2393.24
मृदा से मृदा प्रो. प्रो. कार्य				1786	मीटर	115	प्रति सेंकड़ा	2053.90
मृदा से मृदा प्रो. प्रो. कार्य				0.89	टन	137	प्रति टन कट	122.34
मृदा से मृदा प्रो. प्रो. कार्य						1.5		8000.00
मृदा से मृदा प्रो. प्रो. कार्य				0.89	टन	900	प्रति मीटर	7200.00
								42566.87
								4256.68
								46823.55

(रजिस्ट्रार जनरल)
अनुमान अधिकारी
.....
वन क्षेत्र..

कार्य का विवरण	Dimantion			Quantity	Unit	Rate	Unit Rate	Amount
	L	B	H					
2	3	4	5	6	7	8	9	11
मृदा की खोज				1786	घण्टा	6	प्रति घण्टा	10716.00
मृदा दहन				1786	घण्टा	6	प्रति घण्टा	10716.00
मृदा मजदूरी खादों की लागत				1786	घण्टा	3	प्रति घण्टा	5358.00
मृदा की खाद का मूल्य/दहन सहित				0.89	रु०	137	प्रति रु०	122.34
मृदाकालीन निरुद्ध मृदा मजदूरी तथा खाद				1786	घण्टा	134	प्रति घण्टा	2393.24
मृदाकालीन मृदा की दहन तथा मृदा मजदूरी का कारिगमिक	12			0.893	रु०	900	प्रति रु०	9644.40
								38949.98
कुल रकब (11) रु०								3895.00
							कुल योग	42844.98

4- वनिकरण क्षेत्रों का रकब-रखाव (तृतीय वर्ष)

कार्य का विवरण	Dimantion			Quantity	Unit	Rate	Unit Rate	Amount
	L	B	H					
2	3	4	5	6	7	8	9	11
मृदाकालीन मृदा की दहन तथा मृदा मजदूरी का कारिगमिक 12 महीने	12			3.365	रु०	900	प्रति महीना	10800.00
मृदा की खाद का मूल्य/दहन सहित				0.89	रु०	137	प्रति रु०	122.34
मृदाकालीन निरुद्ध मृदा मजदूरी तथा खाद				1786	घण्टा	134	प्रति घण्टा	2393.24
								13315.88
कुल रकब (11) रु०								1331.56
							योग	14647.14

5- वनिकरण क्षेत्रों का रकब-रखाव (चतुर्थ वर्ष)

कार्य का विवरण	Dimantion			Quantity	Unit	Rate	Unit Rate	Amount
	L	B	H					
2	3	4	5	6	7	8	9	11
मृदाकालीन मृदा की दहन तथा मृदा मजदूरी का कारिगमिक 12 महीने	12			3.365	रु०	900	प्रति महीना	10800.00
मृदा की खाद का मूल्य/दहन सहित				0.89	रु०	137	प्रति रु०	122.34
मृदाकालीन निरुद्ध मृदा मजदूरी तथा खाद				1786	घण्टा	134	प्रति घण्टा	2393.24
								13315.88
कुल रकब (11) रु०								1331.56
							योग	14647.14

(रघुनाथसिंह नेगी)
अनुभाष अधिकारी
वन क्षेत्र, 15/1/2018

6. वनीकरण क्षेत्रों का रख-रखाव(प्रताप वर्ष)

कार्य का विवरण	Dimantion			Quantity	Unit	Rate	Unit Rate	Amount
	I	B	H					
2	3	4	5	6	7	8	9	11
वनीकरण क्षेत्र की देखरेख तथा सुस्था हेतु वावर का परिशिष्टिक 12 माह	12			0.893	रो	900	प्रति माह	10800.00
वावर की खाद का मूल्य/द्वलान सीमित				0.89	रो	137	प्रति रो	122.34
डीजलकलोन निराई गुदाई मलिनता तथा खाद विनाश				1786	मी०	134	प्रति सैकड़	2393.24
								13315.58
कुल रकम (11) 10 ⁰⁰								13315.56
योग								14647.14

7. वनीकरण क्षेत्रों का रख-रखाव(सततता वर्ष)

कार्य का विवरण	Dimantion			Quantity	Unit	Rate	Unit Rate	Amount
	I	B	H					
2	3	4	5	6	7	8	9	11
वनीकरण क्षेत्र की देखरेख तथा सुस्था हेतु वावर का परिशिष्टिक 12 माह	12			0.893	रो	900	प्रति माह	10800.00
वावर की खाद का मूल्य/द्वलान सीमित				0.89	रो	137	प्रति रो	122.34
डीजलकलोन निराई गुदाई मलिनता तथा खाद विनाश				1786	मी०	134	प्रति सैकड़	2393.24
								13315.58
कुल रकम (11) 10 ⁰⁰								13315.56
योग								14647.14

8. वनीकरण क्षेत्रों का रख-रखाव(आठवा वर्ष)

कार्य का विवरण	Dimantion			Quantity	Unit	Rate	Unit Rate	Amount
	I	B	H					
2	3	4	5	6	7	8	9	11
वनीकरण क्षेत्र की देखरेख तथा सुस्था हेतु वावर का परिशिष्टिक 12 माह	12			0.893	रो	900	प्रति माह	10800.00
वावर की खाद का मूल्य/द्वलान सीमित				0.89	रो	137	प्रति रो	122.34
डीजलकलोन निराई गुदाई मलिनता तथा खाद विनाश				1786	मी०	134	प्रति सैकड़	2393.24
								13315.58
कुल रकम (11) 10 ⁰⁰								13315.56
योग								14647.14

(रघुनाथसिंह नेगी)
अनुभाग अधिकारी
वन क्षेत्र..

विकास क्षेत्र का रख-रखाव (नवम वर्ष)

कार्य का विवरण	Dimantion			Quantity	Unit	Rate	Unit Rate	Amount
	I	B	H					II
2	3	4	5	6	7	8	9	
12				0.893	घंटा	900	घंटा मूल्य	10800.00
				0.89	घंटा	137	घंटा मूल्य	122.34
				1786	घंटा	134	घंटा मूल्य	2393.24
								13315.58
								1331.56
							योग	14647.14

विकास क्षेत्र का रख-रखाव (दसम वर्ष)

कार्य का विवरण	Dimantion			Quantity	Unit	Rate	Unit Rate	Amount
	I	B	H					II
2	3	4	5	6	7	8	9	
12				0.893	घंटा	900	घंटा मूल्य	10800.00
				0.89	घंटा	137	घंटा मूल्य	122.34
				1786	घंटा	134	घंटा मूल्य	2393.24
								13315.58
								1331.56
							योग	14647.14

224622.10

पति उत्तराधिकारी
उपप्रभागीय वनाधिकारी
नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ

वन क्षेत्राधिकारी
पूलों की घाटी रा0 पार्क स्टेज
गोविन्दघाट- (चमोली)

(रघुनाथसिंह नेगी)
अनुभाष अधिकारी
वन क्षेत्र- 15, जोशीमठ

उप वन अधिकारी
नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क
जोशीमठ (चमोली)